ग्राम पंचायत सलिहार, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024

भाग – एक

1 **प्रस्तावना:-**

(क) ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या : PCH - HC - (5) C (15) LAD/ 2006 - 12669, दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत सलिहार, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों का अंकेक्षण, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया गया। हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा ग्राम पंचायत सलिहार का यह प्रथम अंकेक्षण है।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान व सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	प्रधान का नाम	अवधि
1	श्री लवनीश कुमार	01.04.2022 से 31.03.2024

सचिव:-

क्रम संख्या	सचिव का नाम	अवधि
1	श्रीमति कमलेश कुमारी	01.04.2022 से 09.09.2022
2	श्री धनु राम	10.09.2022 से 11.12.2022
3	श्री जुगल किशोर	12.12.2022 से 31.03.2024

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत सलिहार के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (₹ लाखों में)
1	6	पंचायत राजस्व का वसूली हेतु शेष पाया जाना	0.71
2	7	नकद आहरण करके राशि का गबन करना	15.23
3	8	प्राप्त आय का रोकड़ बही में लेखांकन न करना	1.11
4	9	नियमानुसार निर्माण कार्यों में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से रॉयल्टी की वसूली न करना	2.12
5	10	औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना	2.04
6	11	निविदा में न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से निर्माण सामग्री का क्रय न करके अधिक दर से क्रय के फलस्वरूप अधिक भुगतान की वसूली बारे	1.57
7	12	वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा के अन्तर्गत निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी राशि कम व सामान पर अधिक व्यय करना	10.75

भाग – दो

2 वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत सलिहार, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के लेखों का अंकेक्षण श्री श्रवण कुमार, सहायक नियन्त्रक (लेखा परीक्षा) द्वारा दिनांक 01.10.2024 से 08.10.2024 तक ग्राम पंचायत सलिहार में किया गया। लेखों की विस्तृत जांच हेतु आय एवं व्यय के लिए निम्नलिखित मासों का चयन किया गया, जिसके परिणामों को आगामी पैराग्राफों में समाविष्ट किया गया है :-

वर्ष	आय	व्यय
2022-23	08/22	07/22
2023-24	09/23	07/23

अस्वीकरण (Disclaimer) :- इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियंत्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उतरदायी नहीं होगा।

3 **अंकेक्षण शुल्क :-**

ग्राम पंचायत सलिहार, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 तक के लेखों के अंकेक्षण हेतु अंकेक्षण शुल्क ₹6000 आँका गया है । अंकेक्षण शुल्क की इस राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हि. प्र. राज्य लेखा परीक्षा विभाग, हिमाचल प्रदेश शिमला- 09 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या – HPSAD/AC/SML-2024-25-286 दिनांक 08.10.2024 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार से अनुरोध किया गया।

4 **(क) वित्तीय स्थिति:-**

ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा **परिशिष्ट – 'क'** पर प्रस्तुत सूचना के अनुसार ग्राम पंचायत सलिहार के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के मुख्य रोकड़ बही (स्वः स्त्रोत व अनुदान) की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

(i) स्वः स्त्रोत व अनुदान

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	658360.28	369665	13114	1041139.28	998469	42670.28
2023-24	42670.28	329856	1600	374126.28	351849	22277.28

(ii) 15 वां वित आयोग ग्राम पंचायत सलिहार के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के 15 वां वित आयोग की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट – 'क – 1'** के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	1144813.30	1082578	31933	2259324.30	992347.50	1266976.80
2023-24	1266976.80	237764	37154	1541894.80	134632.00	1407262.80

(iii) मनरेगा:-

ग्राम पंचायत सलिहार के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के मनरेगा की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट – 'क – 1'** के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	00	3541565	00	3541565	3541565	00
2023-24	00	915672.6	00	915672.6	915672.6	00

(iv) प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना (PMKSY)

ग्राम पंचायत सलिहार के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के **प्रधानमन्त्री कृषि सिंचाई योजना** की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट – 'क – 1'** के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	7299.08	00	92	7391.08	7391.08	00

Rs. 7391.08 has been transferred to Account No. 20008005365 (The Kangra Central Co-op Bank Ltd. Dehra) on dated 29.08.2022 and account closed.

(v) राजीव आवास योजना (RAY)

ग्राम पंचायत सलिहार के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के **राजीव आवास योजना** की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट – 'क – 1'** के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	9592	00	274	9866	00	9866
2023-24	9866	00	300	10166	00	10166

(vi) विधायक निधि (VKVNY)

ग्राम पंचायत सलिहार के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के **विधायक निधि (VKVNY)** की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट – 'क – 1'** के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	687753	89300	15715	792768	295668	497100
2023-24	497100	00	14680	511780	75444	436336

(vii) एकीकृत जलागम विकास परियोजना (Livehood Activities) (IWMP-2)

ग्राम पंचायत सलिहार के अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 के **एकीकृत जलागम विकास परियोजना (Livehood Activities) (IWMP-2)** की वित्तीय स्थिति का विवरण **परिशिष्ट – 'क – 1'** के अनुसार निम्न प्रकार से है:-

वित्तीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	169796	0	4842	174638	0	174638
2023-24	174638	0	5313	179951	0	179951

दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरण:-

Cash book balance as on 31.03.2024	**2055993.08**
Pass book balance as on 31.03.2024	**2055993.08**
Difference	**NIL**

अन्त शेष का विवरण:-

वर्तमान अंकेक्षण अवधि के अन्त में दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है :-

<table>
<tr><th colspan="2"></th><th colspan="5">ग्राम पंचायत सलिहार का दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही व बैंक के अनुसार अन्तिम शेष</th></tr>
<tr><th>क्र. सं.</th><th>निधि का नाम</th><th>खाता संख्या</th><th>बैंक का नाम</th><th>बैंक के अनुसार अन्तिम शेष</th><th>रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष</th><th>अन्तर</th></tr>
<tr><td>1</td><td>स्वः स्त्रोत व अनुदान</td><td>The Kangra Central Co-op Bank Ltd Dehra</td><td>20008005365</td><td>22277.28</td><td rowspan="6">2055993.08</td><td rowspan="6">शून्य</td></tr>
<tr><td>2</td><td>विधायक निधि (VKVNY)</td><td>The Kangra Central Co-op Bank Ltd Khundian</td><td>50055663916</td><td>436336.00</td></tr>
<tr><td>3</td><td>राजीव आवास योजना</td><td>The Kangra Central Co-op Bank Ltd Khundian (Rajiv Aavaas Yojna)</td><td>50055663676</td><td>10166.00</td></tr>
<tr><td>4</td><td>एकीकृत जलागम विकास परियोजना</td><td>The Kangra Central Co-op Bank Ltd Khundian</td><td>50068590883</td><td>179951.00</td></tr>
<tr><td>5</td><td>15 वां वित आयोग</td><td>HDFC Dehra</td><td>50100325710178</td><td>1407262.80</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2055993.08</td></tr>
</table>

5 (क) खाता - क व खाता – ख का रख-रखाव अलग-अलग न रखना :-

निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पी०सी०एच०-एच० ए० (5) सी (15)-(13)(एल)-5-47005-81 दिनांक 15.02.2012 अनुसार स्कीमवाईज खाते खोले जाने का प्रावधान है व हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम (4) के अनुसार स्वः स्त्रोत व अनुदान के रूप में प्राप्त राशि का लेखा-जोखा खाता-क व खाता-ख में अलग- अलग से किया जाना अपेक्षित है। लेकिन ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा स्वः स्त्रोत व अनुदान राशि का खाता – क व खाता- ख अलग-अलग से तैयार नहीं किया गया था बल्कि स्वः स्त्रोत व अनुदान के लिये संयुक्त बैंक खाता संख्या 20008005365 खोला गया है, जो पंचायत की सच्ची व सही वित्तीय स्थिति नहीं दर्शाता है एवं निर्देशों, नियमों के विपरीत है।

अतः खाता – क व खाता- ख का रख-रखाव अलग-अलग न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में खाता – क व खाता- ख का नियम व निर्देशानुसार अलग-अलग संधारण किया जाए।

(ख) बैंक समाधान विवरणी को प्रतिमाह तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (3) एवं 10 (1) के अनुसार पंचायतों की रोकड़ बही का बैंक खातों से मिलान करते हुए बैंक समाधान विवरणी का तैयार किया जाना अनिवार्य है।

पंचायत के लेखों के अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि इन नियमों की अनुपालना पूर्ण रूप में नहीं की जा रही थी। लेखांकन के मूलभूत नियमों के अनुसार बैंक समाधान विवरणी का प्रतिमाह बनाया जाना आवश्यक है। लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा बैंक समाधान विवरणी प्रति माह तैयार नहीं की गई थी।

अतः बैंक समाधान विवरणी तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व भविष्य में प्रत्येक माह के अंत में बैंक समाधान विवरणी तैयार की जानी सुनिश्चित की जाए।

(ग) रोकड़ बहियों के दैनिक व मासिक शेष न निकालना:-

लेखांकन के नियमों के अनुसार रोकड़ बही में हुए लेनदेन की प्रविष्टियों को करने उपरान्त प्रत्येक दिन का आरम्भिक शेष दैनिक आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष

निकालना आवश्यक है तथा मासान्त एवं वर्षान्त भी आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकालना आवश्यक है रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त भी आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने तथा बैंक खातों के साथ मिलान न किए जाने के कारण यह वास्तविक स्थिति प्रस्तुत नहीं करती है। अतः रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष न निकालने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में रोकड़ बहियों में दैनिक, मासान्त एवं वर्षान्त में आरम्भिक शेष, आय व व्यय का विवरण देकर अन्तिम शेष निकाले जाने सुनिश्चित किए जाए।

6 पंचायत राजस्व ₹0.71 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 34 (2) के अनुसार पंचायत को देय कोई भी राशि बिना पर्याप्त कारणों के परादेय (outstanding) नहीं रखी जायेगी।

सचिव ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार निम्न विवरणानुसार दिनांक 31.03.2024 तक पंचायत राजस्व गृहकर/सम्पत्ति कर के रूप में वसूली हेतु शेष थी :-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	16600	27500	44100	1100	43000
2023-24	43000	27500	70500	0	70500

उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं आंकड़ों से स्पष्ट है कि पंचायत अपने राजस्व की नियमित वसूली के प्रति गम्भीर नहीं है। यदि पंचायत राजस्व बकाया राशि इसी तरह बढ़ती रही तो एक समय पर इसे वसूल कर पाना असम्भव हो जायेगा।

गृहकर के रूप में वसूली हेतु शेष राशि का प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या:HPSAD/AC/SML-2024-25-282 दिनांक 04-10-2024 द्वारा अंकेक्षण के दौरान ही सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा स्पष्ट किया कि भविष्य में इसकी वसूली करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः पंचायत राजस्व/गृहकर/सम्पत्ति कर किन कारणों से अदत्त (outstanding) रहा, स्पष्ट करते हुए उक्त राशि की वसूली अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत प्राथमिकता के आधार पर की जानी सुनिश्चित की जाए, तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण विभाग को भी अवगत करवाया जाए।

7. ₹15.23 लाख का नकद आहरण करके गबन :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 में लेखें बनाए रखने सम्बन्धी नियम प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत सलिहार की अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 की रोकड़ बही व बैंक पास बुक के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार कुल ₹15,23,218 का श्री लवनीश कुमार, प्रधान ग्राम पंचायत तथा श्री भोला शंकर, चौकीदार द्वारा नकद आहरण कर के गबन किया गया था | आहरित की राशि का रोकड़ बही में लेखांकन भी नहीं किया गया था | जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) वितीय नियमावली में प्रावधित नियमों की उल्लंघना/अवहेलना के मध्यनजर एक गंभीर वितीय अनियमितता है :-

क्रम संख्या	**फर्म / व्यक्ति का नाम**	**बैंक का नाम व खाता संख्या जिस से राशि आहरित की गई है**	**व्यय की प्रकृति**	**चेक संख्या**	**दिनांक**	**राशि**	**टिप्पणी**
1	श्री लवनीश कुमार प्रधान	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित देहरा खाता संख्या 20008005365	रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं	314727	28.09.22	220000	नकद आहरण
2	श्री लवनीश कुमार प्रधान	-यथोपरि-	-यथोपरि-	314726	28.09.22	1450	-यथोपरि-
3	श्री भोला शंकर चौकीदार	-यथोपरि-	-यथोपरि-	314724	28.09.22	36500	-यथोपरि-
4	श्री लवनीश कुमार प्रधान	-यथोपरि-	-यथोपरि-	314728	03.10.22	11260	-यथोपरि-
5	श्री भोला शंकर चौकीदार	-यथोपरि-	-यथोपरि-	314729	03.10.22	315000	-यथोपरि-
6	-	-यथोपरि-	-यथोपरि-	314730	29.10.22	4778	-यथोपरि-
7	श्री भोला	-यथोपरि-	-	314731	25.10.22	235000	-यथोपरि-

	शंकर चौकीदार		यथोपरि-				
8	श्री भोला शंकर चौकीदार	एच.डी.ऍफ़.सी. देहरा खाता संख्या 50100325710178	-यथोपरि-	000001	11.10.22	375000	-यथोपरि-
9	श्री भोला शंकर चौकीदार	-यथोपरि-	-यथोपरि-	000001	01.11.22	245000	-यथोपरि-
10	श्री भोला शंकर चौकीदार	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित खुन्डिया खाता संख्या 50055663916	-यथोपरि-	157204	01.10.22	29730	-यथोपरि-
11	श्री भोला शंकर चौकीदार	-यथोपरि-	-यथोपरि-	157205	28.10.22	49500	-यथोपरि-
					कुल योग	1523218	

अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या:HPSAD/AC/SML-2024-25 दिनांक 04.10.2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रत्युतर में सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत के विभिन्न खातों से पंचायत प्रधान श्री लवनीश कुमार तथा भोला शंकर पंचायत चौकीदार के माध्यम द्वारा उक्त राशि का आहरण किया गया है, जिससे सम्बंधित माननीय न्यायालय देहरा में मुकद्दमा चला हुआ है |

अतः नकद आहरित की गई राशि की वसूली आहरण की तिथि से ब्याज तथा दंड ब्याज सहित सम्बन्धित से करके पंचायत निधि में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व विभागीय स्तर पर इस मामले की विस्तृत व पूर्ण जांच कर तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए |

8. प्राप्त आय ₹ 1.11 लाख का रोकड़ बही में लेखांकन न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 6 में लेखें बनाए रखने सम्बन्धी नियम प्रावधित हैं।

ग्राम पंचायत सलिहार की अंकेक्षण अवधि 01.04.2022 से 31.03.2024 की रोकड़ बही व बैंक पास बुक के अंकेक्षण पर पाया गया कि अवधि 16.09.22 से 30.11.22 तक निम्न विवरणानुसार कुल ₹ 1,10,721 की विभिन्न शीर्षकों से आय प्राप्त हुई थी, लेकिन इस प्राप्त आय का सम्बन्धित रोकड़ बही में लेखांकन नहीं किया गया था | जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज

(वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) वितीय नियमावली में प्रावधित नियमों की अवहेलना के दृष्टिगत एक गंभीर वितीय अनियमितता है :-

क्रम संख्या	वित्त प्रदाता एजेंसी/ व्यक्ति का नाम	बैंक का नाम व खाता संख्या जिस में राशि जमा की गई है	आय की प्रकृति	दिनांक	राशि
1	खंड विकास अधिकारी देहरा	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित देहरा	मानदेय अनुदान	16.09.22	38800
2	जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला	-यथोपरि-	शराब शुल्क अनुदान	27.09.22	4075
3	खंड विकास अधिकारी देहरा	-यथोपरि-	मानदेय अनुदान	18.11.22	21865
4	बैंक ब्याज	-यथोपरि-	ब्याज	30.11.22	2428
5	खंड विकास अधिकारी देहरा	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित खुन्डिया खाता संख्या 50055663916	अनुदान	15.10.22	20000
6	खंड विकास अधिकारी देहरा	काँगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक सीमित खुन्डिया खाता संख्या 50055663916	अनुदान	27.10.22	20000
7	बैंक ब्याज	-यथोपरि-	ब्याज	30.11.22	3553
				कुल योग	**110721**

इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 09.09.22 से 12.12.22 तक मुख्य रोकड़ बही तथा 15 वां वित आयोग की रोकड़ बही का लेखांकन नहीं किया गया था, जोकि एक गंभीर वितीय अनियमितता है | उक्त प्रकरण अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या:HPSAD/AC/SML-2024-25 दिनांक 04.10.2024 के माध्यम से सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार के ध्यानार्थ लाया गया था, जिसके प्रत्युतर में सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि भूतपूर्व सचिव के द्वारा मास सितम्बर 2022 से नवम्बर 2022 तक रोकड़ बही का संधारण नहीं किया गया था | इस पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जायेगा ।

अतः इस सन्दर्भ में वस्तुस्थिति एवं नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही करते हुए अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए।

9 नियमानुसार निर्माण कार्यों में ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं के बिलों से ₹2.12 लाख रॉयल्टी की वसूली न करने बारे :-

उद्योग विभाग (भू-विज्ञान अनुभाग) के पत्र संख्या: 5-49/79 Ind(Glg)Rules-2015-Vol-IV-1175 दिनांक 12.05.2015 व Ind.-II (F)6-14/2014 –Vol-1 दिनांक 10.02.2022 के अनुसार विभिन्न निर्माण सामग्री जैसे पत्थर, रेत, बजरी, चूना, संगमरमर इत्यादि के खनन पर निर्धारित दरों के अनुसार रॉयल्टी वसूली जानी अपेक्षित थी। पंचायत में अंकेक्षण अवधि में करवाए गए विभिन्न निर्माण कार्यों में प्रयोग निर्माण सामग्री के एवज में सरकार को भुगतान की गयी रॉयल्टी के समर्थन में विहित प्रपत्र अर्थात फार्म "डब्ल्यू" या फार्म "एक्स" प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित हैं, जोकि अंकेक्षणार्थ प्रस्तुत अभिलेख के साथ उपलब्ध नहीं थे। "डब्ल्यू" "एक्स" फार्म को प्रस्तुत न करने की स्थिति में निर्माण कार्य हेतु उपयोग की जाने वाली सामग्री की आपूर्ति वैध स्रोत से होने की पुष्टि नहीं की जा सकी, यदि निर्माण कार्य हेतु सामग्री के क्रय के पश्चात W/X Form जमा किया जाता उस स्थिति में निम्न विवरण के अनुसार हि० प्र० सरकार को रॉयल्टी के रूप में ₹211825 की आय प्राप्त होती। अतः W/X फार्म प्रस्तुत न करने की स्थिति में निर्माण कार्य सामग्री की आपूर्ति की वैधता हेतु मामला उद्योग विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों से H.M. Mineral Rule 2015 के नियम 73 के अनुसार उठाया जाए तथा मामले में नियमानुसार अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जाए व तदानुसार कृत अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। अन्यथा निर्माण कार्य बिलों से नियमानुसार निर्धारित दर से रॉयल्टी की कटौती करके हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक : "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical industries, 102-Mineral concession fees and royalities, 81- other receipts" में जमा करना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्नलिखित प्रकरणों में कोई भी कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई थी। इसके अतिरिक्त एम. फार्म भी व्यय नस्तियों में संलग्न नहीं किए गए थे और न ही निर्माण कार्य के सामग्री की आपूर्ति के बिलों से रॉयल्टी की कटौती की गई थी, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि संविदाकारों/आपूर्तिकर्ताओं को अनुचित लाभ देने के कारण, उनके निर्माण कार्य बिलों से रॉयल्टी की कटौती नहीं की गई थी। फलस्वरूप निम्न वर्णित निर्माण

कार्यों के संविदाकारों के बिलों से रॉयल्टी की कटौती न करके सरकार को ₹211825 की आय की हानि हुई है :-

(i) **(15 वां वित आयोग)**

कार्य का नाम / योजना (A)	व्यय वाउचर संख्या/ दिनांक	बिल संख्या	फर्म नाम	निष्पादित मद	मद की मात्रा	फैक्टर 1.52/1.62/ 2.24	मात्रा (मीट्रिक टन)	रॉयल्टी की दर	कुल राशि
1	2	3	4	5	6	7	8 (6X7)	9	10 (8X9)
C/o Ambulance road from Jaswal Basti to Pulli in Ward No.01	02 दिनांक 22.04.22	198 दिनांक 22.04.22	मै० मदन इंटरप्राइजेज बग्गी, तहसील खुन्डिया	Boulder	2.00 m³	2.240	4.48		
				Sand	2.00 m³	1.62	3.24		
				Aggregate	2.00 m³	1.52	3.04		
				Total			10.76	80	861
C/o Link road in the land of Sh Trilok Chand in Ward No. 03	03 दिनांक 22.04.22	196 दिनांक 22.04.22	-यथोपरि-	Boulder	2.00 m³	2.240	4.48		
				Sand	2.00 m³	1.62	3.24		
				Aggregate	2.00 m³	1.52	3.04		
				Total			10.76	80	861
C/o drainage from the h/o Sh Ajay Kumar to h/o Sh Virender Kumar	04 दिनांक 22.04.22	193 दिनांक 22.04.22	-यथोपरि-	Boulder	2.00 m³	2.240	4.48		
				Sand	2.00 m³	1.62	3.24		
				Aggregate	2.00 m³	1.52	3.04		
				Total			10.76	80	861
C/o drainage from the land of Sh Kikar Singh to Daalti Mango tree	05 दिनांक 22.04.22	195 दिनांक 22.04.22	-यथोपरि-	Boulder	2.00 m³	2.240	4.48		
				Sand	2.00 m³	1.62	3.24		
				Aggregate	2.00 m³	1.52	3.04		
				Total			10.76	80	861
C/o path from the h/o Sh Veer Singh to h/o Sh Ran Bahadur in Ward No. 04	14 दिनांक 05.06.22	250 दिनांक 05.06.22	-यथोपरि-	Boulder	2.00 m³	2.240	4.48		
				Sand	2.00 m³	1.62	3.24		
				Aggregate	2.00 m³	1.52	3.04		
				Total			10.76	80	861
C/o drainage from the h/o Sh Karam Chand to upto tree in Ward No. 03	15 दिनांक 05.06.22	249 दिनांक 05.06.22	-यथोपरि-	Boulder	2.00 m³	2.240	4.48		
				Sand	3.00 m³	1.62	4.86		
				Aggregate	3.00 m³	1.52	4.56		
				Total			13.90	80	1112
C/o Bawdi in the land of Sh	16दिनांक 05.06.22	251 दिनांक	-यथोपरि-	Sand	1.00 m³	1.62	1.62		
				Aggregate	2.00 m³	1.52	3.04		

Mast Ram in Ward No.01.		05.06.22		Total			4.66	80	373
C/o Road in the land of Sh Ram Krishan in Ward No.05	17 दिनांक 05.06.22	252 दिनांक 05.06.22	-यथोपरि-	Boulder	2.00 m^3	2.240	4.48		
				Sand	2.00 m^3	1.62	3.24		
				Aggregate	2.00 m^3	1.52	3.04		
				Total			10.76	80	861
C/o drainage from the land of Sh Kikar Singh to Daalti Mango tree	26 दिनांक 05.06.22	253 दिनांक 05.06.22	-यथोपरि-	Sand	0.52 m^3	1.62	0.84		
				Aggregate	2.77 m^3	1.52	4.21		
				Total			5.05	80	404
C/o drainage from the land of Sh Kikar Singh to Daalti Mango tree in Ward No.05	27 दिनांक 22.06.22	256 दिनांक 22.06.22	-यथोपरि-	Boulder	2.00 m^3	2.240	4.48		
				Sand	2.00 m^3	1.62	3.24		
				Aggregate	2.00 m^3	1.52	3.04		
				Total			10.76	80	861
C/o Ambulance road from Jaswal Basti to Pulli in Ward No.04	28 दिनांक 16.05.22	254 दिनांक 16.05.2022	-यथोपरि-	Boulder	2.69 m^3	2.240	6.03		
				Sand	2.20 m^3	1.62	3.56		
				Aggregate	2.69 m^3	1.52	4.09		
				Total			13.68	80	1094
C/o Link road in the land of Sh Trilok Chand S/o Sh Bhuroo Ram in Ward No. 01	37 दिनांक 20.07.22	259 दिनांक 20.07.22	-यथोपरि-	Boulder	4.00 m^3	2.240	8.96		
				Sand	1.63 m^3	1.62	2.64		
				Aggregate	4.89 m^3	1.52	7.43		
				Total			19.03	80	1522
C/o drainage from the land of Sh Kikar Singh to Daalti Mango tree in Ward No.05	38 दिनांक 17.08.22	260 दिनांक 17.08.22	-यथोपरि-	Boulder	1.00 m^3	2.240	2.24		
				Sand	1.04 m^3	1.62	1.68		
				Aggregate	3.75 m^3	1.52	5.70		
				Total			9.62	80	770
C/o Link Road from Lekh Rah house to Kanta Devi house	11 दिनांक 24.12.23	120 दिनांक 24.12.23	-यथोपरि-	Boulder	2.00 m^3	2.240	4.48		
				Sand	2.00 m^3	1.62	3.24		
				Aggregate	2.00 m^3	1.52	3.04		
				Total			10.76	80	861

(ii) मनरेगा

मनरेगा	व्यय वाउचर में अंकित नहीं।	212 दिनांक 04.04.22	-यथोपरि-	Sand	4.00 m^3	1.62	6.48		
				Aggregate	4.00 m^3	1.52	6.08		
				Total			12.56	80	1005
मनरेगा	-यथोपरि-	214 दिनांक 15.04.22	-यथोपरि-	Sand	2.00 m^3	1.62	3.24		
				Total			3.24	80	259
मनरेगा	-यथोपरि-	215 दिनांक 05.04.22	-यथोपरि-	Sand	2.00 m^3	1.62	3.24		
				Aggregate	1.00 m^3	1.52	1.52		
				Total			4.76	80	381
मनरेगा	-यथोपरि-	212 दिनांक 04.04.22	-यथोपरि-	Boulder	2.00 m^3	2.240	4.48		
				Sand	4.00 m^3	1.62	6.48		
				Aggregate	4.00 m^3	1.52	6.08		
				Total			17.04	80	1363
मनरेगा	-यथोपरि-	215 दिनांक 15.04.22	-यथोपरि-	Sand	6.00 m^3	1.62	9.72		
				Aggregate	6.00 m^3	1.52	9.12		
				Total			18.84	80	1507
मनरेगा	-यथोपरि-	215 दिनांक 15.04.22	-यथोपरि-	Boulder	4.00 m^3	2.240	8.96		
				Aggregate	4.52 m^3	1.52	6.87		
				Total			15.83	80	1266
मनरेगा	-यथोपरि-	230 दिनांक 05.05.22	-यथोपरि-	Sand	4.00 m^3	1.62	6.48		
				Aggregate	2.00 m^3	1.52	3.04		
				Total			9.52	80	762
मनरेगा	-यथोपरि-	230 दिनांक 05.05.22	-यथोपरि-	Aggregate	2.00 m^3	1.52	3.04		
				Total			3.04	80	243
मनरेगा	-यथोपरि-	233 दिनांक 05.05.22	-यथोपरि-	Sand	8.40 m^3	1.62	13.61		
				Aggregate	12.50 m^3	1.52	19.00		
				Total			32.61	80	2609
मनरेगा	-यथोपरि-	234 दिनांक 05.05.22	-यथोपरि-	Boulder	3.80 m^3	2.240	8.51		
				Aggregate	5.00 m^3	1.52	7.60		
				Total			16.11	80	1289
मनरेगा	-यथोपरि-	234 दिनांक 05.05.22	-यथोपरि-	Boulder	6.20 m^3	2.240	13.89		
				Aggregate	0.50 m^3	1.52	0.76		
				Sand	3.50 m^3	1.62	5.67		
				Total			20.33	80	1626
मनरेगा	-यथोपरि-	236 व 237 दिनांक 05.05.22	-यथोपरि-	Sand	2.70 m^3	1.62	4.37		
				Aggregate	5.00 m^3	1.52	7.60		
				Boulder	13.90 m^3	2.240	31.14		

				Total			43.11	80	3449
मनरेगा	-यथोपरि-	238 से 241 दिनांक 05.05.22	-यथोपरि-	Sand	14.50 m^3	1.62	23.49		
				Aggregate	15.74 m^3	1.52	23.92		
				Boulder	11.00 m^3	2.240	24.64		
				Total			72.05	80	5764
मनरेगा	-यथोपरि-	218 दिनांक 15.04.22	-यथोपरि-	Sand	6.00 m^3	1.62	9.72		
				Aggregate	6.00 m^3	1.52	9.12		
				Total			18.84	80	1507
मनरेगा	-यथोपरि-	408 दिनांक 04.09.22,401 दिनांक 20.08.22,414 दिनांक 04.09.22, 404 दिनांक 15.08.22	-यथोपरि-	Sand	19.00 m^3	1.62	30.78		
				Aggregate	27.00 m^3	1.52	41.04		
				Boulder	10.00 m^3	2.240	22.40		
				Total			94.22	80	7538
मनरेगा	-यथोपरि-	275.276, 277.278 दिनांक 15.01.23	-यथोपरि-	Sand	28.65 m^3	1.62	46.41		
				Aggregate	62.33 m^3	1.52	94.74		
				Boulder	57.80 m^3	2.240	129.47		
				Total			270.62	80	21650
मनरेगा	-यथोपरि-	283 दिनांक 25.03.23	-यथोपरि-	Sand	4.00 m^3	1.62	6.48		
				Aggregate	4.00 m^3	1.52	6.08		
				Total			12.56	80	1005
मनरेगा	-यथोपरि-	299 दिनांक 09.04.23	-यथोपरि-	Sand	1.00 m^3	1.62	1.62		
				Aggregate	2.00 m^3	1.52	3.04		
				Boulder	8.00 m^3	2.240	17.92		
				Total			22.58	80	1806
मनरेगा	-यथोपरि-	298 दिनांक 09.04.23	-यथोपरि-	Sand	4.00 m^3	1.62	6.48		
				Aggregate	8.00 m^3	1.52	12.16		
				Boulder	10.00 m^3	2.240	22.40		
				Total			41.04	80	3283
मनरेगा	-यथोपरि-	117 दिनांक 15.12.23, 111, 112, 113, 115, 116 दिनांक 15.01.24, 114 दिनांक 11.01.24, 110 दिनांक 23.01.24, 108 दिनांक 02.01.24, 107 दिनांक 01.12.23	-यथोपरि-	Sand	41.00 m^3	1.62	66.42		
				Aggregate	41.50 m^3	1.52	63.08		
				Total			129.50	80	10360

मनरेगा	-यथोपरि-	105 दिनांक 05.07.23, 104, 103, 102 दिनांक 15.07.23, 101 दिनांक 15.08.23, 118 दिनांक 10.12.24, 106 दिनांक 15.08.23	-यथोपरि-	Sand	23.54 m^3	1.62	38.13		
				Aggregate	48.99 m^3	1.52	74.46		
				Boulder	27.25 m^3	2.240	61.04		
				Total			173.63	80	13890
मनरेगा	-यथोपरि-	282 दिनांक 15.02.23281,280,279 दिनांक 25.02.23	-यथोपरि-	Sand	16.67 m^3	1.62	27.01		
				Aggregate	21.60 m^3	1.52	32.83		
				Boulder	8.00 m^3	2.240	17.92		
				Total			77.76	80	6221
मनरेगा	व्यय वाउचर में अंकित नहीं।	168,159,158, 157,156,155, 154,152,167, 153,169 दिनांक 27.12.21	मैо मदन इंटरप्राइजेज बग्गी, तहसील खुन्डिया	Sand	64.30 m^3	1.62	104.17		
				Aggregate	107.90 m^3	1.52	164.01		
				Boulder	62.10 m^3	2.240	139.10		
				Total			407.28	80	32582
मनरेगा	-यथोपरि-	176,177,178, 172 दिनांक 06.01.22 163 दिनांक 27.12.21	-यथोपरि-	Sand	38.00 m^3	1.62	61.56		
				Aggregate	60.00 m^3	1.52	91.20		
				Boulder	32.00 m^3	2.240	71.68		
				Total			224.44	80	17955
मनरेगा	-यथोपरि-	188 दिनांक 15.02.22 190 दिनांक 20.02.22	-यथोपरि-	Sand	16.00 m^3	1.62	25.92		
				Aggregate	28.00 m^3	1.52	42.56		
				Boulder	12.00 m^3	2.240	26.88		
				Total			95.36	80	7629
मनरेगा	-यथोपरि-	189 दिनांक 20.02.22	-यथोपरि-	Boulder	6.00 m^3	2.240	13.44		
				Sand	8.00 m^3	1.62	12.96		
				Aggregate	14.00 m^3	1.52	21.28		
				Total			47.68	80	3814
मनरेगा	-यथोपरि-	147,146,145,144,143,161,162 दिनांक 27.12.21	-यथोपरि-	Sand	64.00 m^3	1.62	103.68		
				Aggregate	104.00 m^3	1.52	158.08		
				Boulder	52.00 m^3	2.240	116.48		
				Total			378.24	80	30259
मनरेगा	-यथोपरि-	280, 283, दिनांक 25.03.23,277 दिनांक 15.01.23, 282 दिनांक 15.02.23	-यथोपरि-	Sand	25.57 m^3	1.62	41.42		
				Aggregate	45.50 m^3	1.52	69.16		
				Boulder	16.30 m^3	2.240	36.51		
				Total			147.09	80	11767

मनरेगा	-यथोपरि-	275, 278 दिनांक 15.02.23	-यथोपरि-	Sand	9.85 m^3	1.62	15.96		
				Aggregate	17.83 m^3	1.52	27.10		
				Boulder	19.13 m^3	2.240	42.85		
				Total			85.91	80	6873
Total (i)+(ii)									211825

अंकेक्षण द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या:HPSAD/AC/SML-2024-25 -277 दिनांक 04.10.24 व 283 दिनांक 08.10.24 द्वारा यह प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार के ध्यानार्थ लाया गया था जिसके प्रत्युतर में सचिव द्वारा अवगत करवाया गया कि भविष्य में इस की वसूली करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः अंकेक्षण को दिये आश्वासन के दृष्टिगत उक्त रॉयल्टी की राशि की वसूली नियमानुसार सम्बन्धित संविदाकारों/आपूर्ति कर्ताओं के निर्माण बिलों से करने उपरांत हिमाचल प्रदेश सरकार के आय लेखा शीर्षक : "0853-Non Ferrous Mining and Metallurgical industries, 102-Mineral concession fees and royalities, 81- other receipts" में जमा करवाई जानी सुनिश्चित की जाए अन्यथा वस्तुस्थिति, नियमानुसार एवं समय-2 पर जारी निर्देशानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

10 औपचारिकताएँ पूर्ण किए बिना राशि ₹02.04 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएँ प्रावधित हैं।

व्यय वाउचरों के अंकेक्षण पर पाया गया कि निम्न विवरणानुसार पंचायत्त द्वारा राशि **₹204033**/- के स्टॉक/स्टोर का क्रय निविदा सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना किया गया था, जो कि नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है :-

(क) मनरेगा :-

क्रम संख्या	बिल संख्या	दिनांक	फर्म का नाम एवं पत्ता	क्रय सामान का विवरण	मूल्य
1	1128	15.04.22	मै० रशमा देवी सीमेंट स्टोर खुन्डिया	नालीदार चादर	11250
2	213	04.04.22	मै० मदन इंटरप्राइजेज खुन्डिया	पत्थर	22000
3	836	19.09.22	मै० ठाकुर ब्रदर्स आयरन एंड स्टील वर्क	जी० सी० सीट	12000

			खुन्डिया		
4	837	19.09.22	मै० ठाकुर ब्रदर्स आयरन एंड स्टील वर्क खुन्डिया	जी० सी० सीट	12000
5	101,102 व103	15.08.22	मै० स्टार नर्सरी कच्छ्यारी काँगड़ा	पौधे व फलदार पौधे	63180
6	123	17.02.24	मै० मदन इंटरप्राइजेज खुन्डिया	ईंट	40000
7	3345	01.03.23	मै० मुल्तान सीमेंट स्टोर लगड़ू	सरिया	14396
8	3956	01.01.23	मै० मुल्तान सीमेंट स्टोर लगड़ू	सरिया	6707
9	108	02.01.24	मै० मदन इंटरप्राइजेज खुन्डिया	ईंट	22500
कुल योग					**204033**

पंचायत द्वारा उपरोक्त सामान का क्रय निर्धारित औपचारिकताओं को विधिवत पूर्ण किए बिना किया गया था। अंकेक्षण अधियाचना संख्या HPSAD/AC/SML-2024-25-278 दिनांक 04.10.2024 के अन्तर्गत उक्त अनियमितता का प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवाया जाएगा।

अतः निर्माण सामग्री का क्रय नियमानुसार न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व तदानुसार कृत व्यय को सक्षम प्राधिकारी की कार्योतर स्वीकृति से नियमित करवाया जाये व भविष्य में निर्माण सामग्री को क्रय करने से पूर्व आवश्यक/ निर्धारित औपचारिकताएं विधिवत पूर्ण करने, बाजारीय प्रतिस्पर्धा का लाभ उठाने के उपरान्त ही किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

11 निविदा में न्यूनतम दर भरने वाली फर्म से निर्माण सामग्री का क्रय न करके अधिक दर से क्रय के फलस्वरूप अधिक भुगतान की गई राशि ₹01.57 लाख की वसूली बारे :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान निर्माण सामग्री का क्रय मद मिक्सचर तेल सहित प्रतिदिन निविदा में न्यूनतम दर भरने वाली फर्म मै० जगत राम मिक्सचर एंड शटरिंग सलिहार तहसील लगडू ने न्यूनतम निविदा भरी थी तथा शटरिंग प्रति वर्गफुट की न्यूनतम निविदा मै० मुस्ताक अली ने भरी थी।

अंकेक्षण अवधि में किराए पर शटरिंग का क्रय मै० मुस्ताक अली से न करके मै० जगत राम मिक्सचर एंड शटरिंग सलिहार तहसील लगडू से ही अधिक दर पर किया गया था | न्यूनतम निविदा में भरी गई दर से अधिक दरों पर निम्न विवरणणानुसार राशि ₹156791 का अधिक एवं गलत भुगतान किया गया था:-

1. 15 वां वित आयोग

क्र. सं.	वाउचर संख्या / दिनांक	मै० जगत राम मिक्सचर एंड शटरिंग,सलिहार तहसील लगडू जिला काँगड़ा					
		मद	निविदा में भरी गई दर	जिस दर से भुगतान किया गया	अधिक दर	क्रय मात्रा	अधिक भुगतान
1	30/16.05.22	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	6 दिन	2100
2	31/20.05.22	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	5 दिन	1750
3	31/20.05.22	शटरिंग (न्यूनतम दर मुस्ताक अली सु० श्री कमाल दीन)	7.30 प्रति वर्गफुट	11.50	4.20	250 वर्गफुट	1050
4	34/25.08.22	मिक्सचर विथ आयल	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	5 दिन	1750
5	34/25.08.22	शटरिंग (मुस्ताक अली सु० श्री कमाल दीन	7.30 प्रति वर्गफुट	11.50	4.20	100 वर्गफुट	420
6	35/20.07.22	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	4 दिन	1400
7	35/20.07.22	शटरिंग (मुस्ताक अली सु० श्री कमाल दीन	7.30 प्रति वर्गफुट	11.50	4.20	44 वर्गफुट	185
कुल योग							8655

2. मनरेगा

क्र.सं.	बिल संख्या / दिनांक	मै० जगत राम मिक्सचर एंड शटरिंग,सलिहार तहसील लगडू जिला काँगड़ा					
		मद	निविदा में भरी गई दर	जिस दर से भुगतान किया गया	अधिक दर	क्रय मात्रा	अधिक भुगतान
1	-	बजरी	1380 रूपये प्रति घन मीटर	1400	20	4	80

2	-	बजरी	1380 रूपये प्रति घन मीटर	1400	20	1	20
3	-	बजरी 20 MM	1390 रूपये प्रति घन मीटर	1400	10	4.52	45
4	-	बोल्डर	1240 रूपये प्रति घन मीटर	1260	20	4	80
5	-	बजरी 20 MM	1390 रूपये प्रति घन मीटर	1400	10	5	50
6	-	बोल्डर	1240 रूपये प्रति घन मीटर	1260	20	3.80	76
7	-	बोल्डर	1240 रूपये प्रति घन मीटर	1260	20	6.20	124
8	236 व 237 दिनांक 05.05.22	बजरी 20 MM	1390 रूपये प्रति घन मीटर	1400	10	6	60
		बोल्डर	1240 रूपये प्रति घन मीटर	1260	20	13.90	278
9	238 से 240 दिनांक 05.05.22	बजरी 20 MM	1390 रूपये प्रति घन मीटर	1400	10	7.22	72
		बोल्डर	1240 रूपये प्रति घन मीटर	1260	20	8	160
10	27, 30, 36, 37,33,29,28, 31,32 दिनांक शून्य	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	490	90	160	14400
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	9.90	2.60	2281	5931
11	38,39,41,40, 35 दिनांक शून्य	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	28	9800
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	10	2.70	410	1107
12	35 दिनांक शून्य	शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	9.90	2.60	515	1339
13	35 दिनांक 04.09.22	शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	11.50	4.20	296	1243
		मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	1	350
14	34 दिनांक शून्य	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	490	90	19	1710
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	9.90	2.60	240	624

15	10, 14, 11, 13 06, 05, 07,12 दिनांक 25.02.23	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	91	31850
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	10	2.70	1320	3564
16	204, 207 दिनांक 25.03.23	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	10	3500
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	10	2.70	100	270
17	15,16,17,18, 19 दिनांक 25.03.23	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	41	14350
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	11.50	4.20	960	4032
18	201 दिनांक 25.03.23	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	5	1750
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	10.00	2.70	720	1944
19	212 दिनांक 23.07.23	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	2	700
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	10.00	2.70	69	186
20	16 17 दिनांक 25.03.23	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	14	4900
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	11.50	4.20	360	1512
21	06, 12, 204, 32,10,13 दिनांक 25.03.23	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	47	16450
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	10.00	2.70	710	1917
22	07,19,206, 18,15,201 दिनांक 25.03.23	मिक्सचर तेल सहित	400 रूपये प्रतिदिन	750	350	53	18550
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	10.00	2.70	960	2592
		शटरिंग	7.30 प्रति वर्गफुट	11.50	4.20	600	2520
			कुल योग				148136

(कुल योग =8655 + 148136=156791)

अंकेक्षण अधियाचना संख्या HPSAD/AC/SML-2024-25-281 दिनांक 04.10.2024 व HPSAD/AC/SML-2024-25-284 दिनांक 08.10.2024 के अन्तर्गत उक्त अनियमितता का

प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार ने स्पष्ट किया कि आपूर्तिकर्ता के द्वारा जो कुटेशन मिक्सचर तथा सटरिंग की पंचायत में वर्ष 2022-23 में पारित की गई थी उन कुटेशन को ग्राम पंचायत के द्वारा मिक्सचर तथा सटरिंग की आपूर्ति न करने के कारण निरस्त कर दिया गया था तथा ग्राम पंचायत ने मिक्सचर तथा सटरिंग की आपूर्ति हेतु दोबारा से दिनांक 10.06.2022 को पंचायत की मीटिंग में अपने प्रस्ताव संख्या 08 मुताबिक़ नयी कुटेशन श्री जगत राम की पारित की गई। प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं है, क्योंकि इस सन्दर्भ में कोई भी दस्तावेज ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण के दौरान प्रस्तुत नहीं किया गया तथा प्रस्तुत उतर में दिनांक 10.06.2022 से श्री जगत राम को उसकी कोटेशन के आधार पर निर्माण सामग्री की आपूर्ति का कार्य आबंटन किया गया जबकि उक्त दिनांक से पूर्व भी उसी फर्म द्वारा सामग्री की आपूर्ति की गई थी।

अतः न्यूनतम दर भरने वाली फर्म मै० जगत राम मिक्सचर एंड शटरिंग,सलिहार से निर्माण सामग्री का क्रय अधिक दर से तथा कुछ मदों का क्रय न करके मै० जगत राम मिक्सचर एंड शटरिंग,सलिहार तहसील लगडू जिला काँगड़ा से निर्माण सामग्री का अत्याधिक उच्च दरों पर मनमाने ढंग से क्रय करने के कारण किए गए अधिक एवं गलत भुगतान का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व सम्पूर्ण अधिक एवं गलत भुगतान की वसूली सम्बन्धित उत्तरदायी से की जाए व कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए तथा ऐसे मामलों की पुनरावृति पर अंकुश लगाने हेतु हिमाचल प्रदेश वित्त नियम 2009 के अध्याय 6 के प्रावधानोंनुसार कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाये।

12. वितीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत करवाए गए निर्माण कार्यों में निर्धारित सीमा से मजदूरी पर राशि ₹10.75 लाख कम व सामान पर राशि ₹10.75 लाख का अधिक व्यय करना :-

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय किया जाएगा। लेकिन अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत मजदूरी व सामान पर निम्न प्रकार से व्यय किया गया था :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	कुल व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय (लाखों में)	मजदूरी पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 60%) (लाखों में)	सामान पर व्यय (लाखों में)	सामान पर व्यय योग्य राशि (कुल व्यय का @ 40%) (लाखों में)
1	2022-23	28.95	12.44	17.37	16.51	11.58
2	2023-24	29.22	11.71	17.53	17.51	11.69
	योग	**58.17**	**24.15**	**34.90**	**34.02**	**23.27**

अभिलेख की जांच करने पर पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान मनरेगा शीर्ष के अन्तर्गत सामान/निर्माण सामग्री पर व्यय योग्य राशि ₹23.27 लाख की जगह ₹34.02 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹10.75 लाख अधिक व मजदूरी पर व्यय योग्य राशि ₹34.90 लाख की जगह ₹24.15 लाख व्यय करके, अपेक्षित व्यय योग्य राशि से ₹10.75 लाख कम व्यय किया गया।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या HPSAD/AC/SML- 2024-25-285 दिनांक 08.10.2024 के अन्तर्गत उक्त अनियमितता का प्रकरण सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया, जिसके प्रतियुत्तर में सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार ने स्पष्ट किया कि भविष्य में इस पर कार्यवाही करके आगामी अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है।

अतः वित्तीय वर्ष 2022-23 व 2023-24 के दौरान महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) 2005, के नियम 1.2 के अनुसार मजदूरी व सामान पर 60:40 के अनुपात में व्यय न करने का पूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए व सामान पर निर्धारित सीमा से राशि ₹10.75 लाख अधिक व मजदूरी पर निर्धारित सीमा से राशि ₹10.75 लाख कम व्यय करने हेतु सक्षम अधिकारी से कार्योत्तर स्वीकृत प्राप्त करके अनियमित व्यय को नियमित करवाया जाए व वस्तुस्थिति, नियमानुसार कृत अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

13 स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करना :-

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा क्रय की गई निर्माण सामग्री व अन्य सामान की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं है। स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख के अभाव में उक्त क्रय किए गए सामान के दुरूपयोग की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। अतः स्टॉक रजिस्टरों में

स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व वांछित अभिलेख तैयार करने उपरान्त अंकेक्षण सत्यापनार्थ प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

14. निर्माण कार्य में निर्धारित मापदंडों की अपेक्षा कम सीमेंट खपत करने के कारण निम्न गुणवत्ता के कार्यों का निष्पादन करना:-

निम्न वर्णित निर्माण कार्यों से सम्बंधित व्यय वाउचरों व माप पुस्तिकाओं के अंकेक्षण पर पाया गया कि निर्माण कार्य हेतु सीमेंट की सैद्धांतिक खपत (theoretical consumption) जो बनती थी, उस पर सीमेंट की सैद्धांतिक खपत (theoretical consumption) पर स्वीकार्य 5% विचलन (deviation) घटाने उपरांत शुद्ध सीमेंट खपत जितने बैग बनती है, उस से कम सीमेंट के बैग जारी किये गये दर्शाये गए थे, जिससे स्पष्ट है कि उक्त कार्य में अपेक्षाकृत कम सीमेंट बैग उपयोग करने के कारण निर्माण कार्य निम्न गुणवता (substandard) का निष्पादित किया गया प्रतीत होता है, जोकि गम्भीर अनियमितता है। अतः हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप कार्य न करवा कर निम्न गुणवता का कार्य करवाया गया है। उक्त निम्न गुणवता के कार्य करवाने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व निम्न गुणवत्ता के कार्यों का निष्पादन करवाने हेतु उतरदायित्व निर्धारित किया जाए व वस्तुस्थिति अनुसार कृत कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	कार्य नाम	कार्य आबंटन लागत व कार्य क्रियान्वयन लागत	कार्य क्रियान्वयन समयावधि	कार्य शुरू व समापन की तिथियाँ	माप पुस्तिका सं० व पेज	निर्माण कार्य हेतु सीमेंट की सैद्धांतिक खपत	स्वीकार्य 5% विचलन	विचलन घटाने उपरांत शुद्ध सीमेंट खपत	कार्य हेतु क्रय सीमेंट	कम उपयोग करने के कारण निर्माण कार्य निम्न गुणवता
1	C/o Boundary wall in GPS Balahar	295000/267980	2 महीने	01.08.19 व 11.11.19	6909/ 31 to 33	104.33	5.21	99.11	70	29.11
2	C/o Ambulance road from the house of Hans Raj to main road in ward No. 3	300000	-	-	6912/ 75 to 77	175.32	8.77	166.55	120	46.55

15. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के अंतर्गत ग्राम पंचायत द्वारा रखे जाने वाले रिकॉर्ड का रख-रखाव न करना:-

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना अधिनियम 2005 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत द्वारा निम्नलिखित अभिलेख रखा जाना अनिवार्य है:-

(i) रोजगार रजिस्टर (B-9)

(ii) शिकायत रजिस्टर (B-11)

(iii) आवेदन पंजीकरण रजिस्टर (B-7)

(iv) परिसम्पति रजिस्टर (B-8)

ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा उपरोक्त अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए तथा भविष्य में अपेक्षित अभिलेख तैयार किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

16 नियमानुसार निवेश न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार प्रत्येक पंचायत द्वारा उपलब्ध अतिरिक्त निधियों (Surplus Fund) को पंचायत द्वारा पारित प्रस्ताव उपरान्त राष्ट्रीयकृत बैंक, सहकारी बैंक अथवा सरकारी प्रतिभूतियों में इस प्रकार से निवेश किया जाना अपेक्षित है कि इन पर ब्याज के रूप अतिरिक्त आय प्राप्त की जा सके। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा इस नियम की अनुपालना नहीं की गई थी तथा अंकेक्षणावधि के दौरान कोई निवेश नहीं किया गया था। जबकि वित्तीय स्थिति के अवलोकन में यह स्पष्ट है कि पंचायत के पास प्रतिवर्ष निधियों में काफी मात्रा में अतिरिक्त शेष उपलब्ध था। नियमानुसार निवेश न करने के कारण पंचायत को अतिरिक्त ब्याज के रूप में होने वाले लाभ से वंचित होना पड़ा है। इस बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार निवेश करना सुनिश्चित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए। उपरोक्त के अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 12(1) के अनुसार पंचायत द्वारा किए गए निवेश के सन्दर्भ में प्रारूप -1 के आधार पर निवेश रजिस्टर का निर्माण किया जाना अपेक्षित है। अतः भविष्य में नियम 11 की अनुपालना में किए जाने वाले निवेश के लिए नियमानुसार निवेश रजिस्टर का रख रखाव भी सुनिश्चित किया जाए।

17 (क) स्टोर सामग्री का क्रय व उपायन करने के प्रयोजन हेतु उप समिति का गठन न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत स्टोर (सामान) के क्रय व उपायन के प्रयोजन से निम्नलिखित विधि से एक उप समिति गठित करेगी।

(क) ग्राम पंचायत की दशा में प्रधान, उप प्रधान, ग्राम पंचायत द्वारा नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले दो वार्ड सदस्य व ग्राम पंचायत का सचिव।

अंकेक्षण हेतु चयनित मासों के व्यय की जाँच करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा स्टोर (सामान) का क्रय करने व उपायन हेतु उप समिति का गठन नहीं किया गया था। जो कि पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67 (3) की अवहेलना है।

अतः स्टोर (सामग्री) उपायन समिति के गठन के बिना क्रय करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अंकेक्षण अवधि के दौरान उप समिति के गठन के बिना अनियमित रूप से क्रय की गई स्टोर (सामग्री) को सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए।

(ख) ग्राम पंचायत द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करना :-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 93 के अनुसार ग्राम पंचायत को प्रत्येक निर्माण कार्य के निष्पादन हेतु सहभागी समिति का गठन करना अनिवार्य है, ताकि निर्माण कार्यों में पारदर्शिता स्थापित की जा सके। सहभागी समिति निम्नलिखित सदस्य शामिल कर गठित की जानी अपेक्षित थी।

(i) सम्बन्ध ग्राम पंचायत का प्रधान/उप प्रधान

(ii) सम्बन्ध वार्ड का ग्राम पंचायत सदस्य

(iii) महिला मंडल से एक सदस्य

(iv) सम्बन्ध क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान से एक सदस्य

अंकेक्षण अवधि के अंतर्गत ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन नहीं किया गया था व सभी कार्य सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना स्वंय करवाए गए हैं, जो कि पंचायती राज अधिनियम 2002 के अध्याय – 11 के नियम – 93 व पारदर्शी नियमों की अवहेलना है।

अतः निर्माण कार्यों हेतु सहभागी समिति का गठन न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व सहभागी समिति के अनुमोदन के बिना अनियमित रूप से करवाए गए सभी कार्यों को सक्षम अधिकारी से कार्योतर स्वीकृति लेकर नियमित करवाया जाए व भविष्य में प्रत्येक निर्माण कार्य सहभागी समिति अथवा उप नियम – 93 (b) के अनुसार पंजीकृत संस्था जैसे कि महिला मण्डल, युवक मण्डल व वाटर शैड कमेटी इत्यादि के माध्यम से करवाए जाने सुनिश्चित किए जाएं व कृत सुधारात्मक कार्यवाही से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

18 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

हिमाचल पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 व 31 व पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जो कि अनियमित व आपतिजनक है। अतः नियमानुसार इन रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए, क्योंकि लेखांकन प्रक्रिया में पूर्णता व पारदर्शिता के अभाव में किसी भी स्तर पर धन, सामग्री के रिसन, दुर्विनियोजन एवं दुरूपयोग की सम्भावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

क्रम संख्या	रजिस्टर/अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
3	निर्माण कार्यों का रजिस्टर		103
4	मासिक समाधान विवरणी		15 (1)
5	विभिन्न अनुदानों के बही खाते	7	29(1)
6	वर्गीकृत सार	8	29(4)
7	मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
8	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
9	डाक रजिस्टर	24	61(2)
10	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)

19 बजट प्राक्कलन तैयार न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 37 के अनुसार सचिव द्वारा फार्म -11 में पंचायत के आय व व्यय के प्राक्कलन तैयार करके ग्राम सभा में पारित करना अपेक्षित था। परन्तु अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान पंचायत का बजट प्राक्कलन तैयार नहीं किया गया था। इस प्रकार बजट प्राक्कलन तैयार / अनुमोदित न करने के कारण पंचायत द्वारा किया गया व्यय अनियमित है। सचिव द्वारा निर्धारित फार्म -11 पर बजट प्राक्कलन तैयार/अनुमोदित न करने के कारणों को स्पष्ट करते हुए भविष्य में नियमानुसार बजट प्राक्कलन तैयार करना सुनिश्चित किया जाए।

20 रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर नियमानुसार न रखा जाना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 13(5) के अनुसार पंचायत सचिव का यह वैधानिक दायित्व है कि जिला पंचायत अधिकारी द्वारा प्राधिकृत /जारी खाली रसीदों का प्राप्त करते समय तथा उपयोग हेतु जारी करने का अभिलेख प्रारूप "4" के अनुसार बनाये गए स्टॉक रजिस्टर में रखे। परन्तु ग्राम पंचायत सलिहार द्वारा रसीदों का स्टॉक रजिस्टर अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत नहीं किया गया था। अतः वांछित अभिलेख अंकेक्षण में सत्यापना हेतु प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए।

21 बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7 (1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा"। लेकिन अंकेक्षण के दौरान व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे। अतः व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व किए गए व्यय से सम्बन्धित बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित की जाए व सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

22. अनुदान हेतु रसीदें जारी न करना :-

हि. प्र. पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 5 (1 से 3) के प्रावधानों के अनुसार पंचायत को किसी भी स्त्रोत अथवा अन्य तरीके से प्राप्त आय/अनुदान के लिए इन नियमों में दिए गए प्रारूप -3 में रसीद जारी करना आवश्यक है। परन्तु ग्राम पंचायत के लेखों की जांच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान निम्नलिखित प्राप्त अनुदान राशियों विशेषतः आर. टी. जी. एस. / ऑनलाइन बैंक प्राप्तियों के लिए किसी भी प्रकार की रसीद जारी नहीं की गई थी। अतः अनुदान राशि की प्राप्ति हेतु रसीद जारी न करने का तथ्यपूर्ण औचित्य स्पष्ट किया जाए।

स्वः स्त्रोत व अनुदान :-

क्रम संख्या	**दिनांक**	**रोकड़ बही पेज संख्या**	**विभाग / अधिकारी का नाम**	**रोकड़ बही में दर्ज अनुदान राशि**
1	29.08.22	19	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	94770
2	16.09.22	रोकड़ बही में इन्द्राज नहीं	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	38800
3	27.09.22	-यथोपरि-	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	4075
4	18.11.22	-यथोपरि-	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	21865
5	22.06.23	27	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	19400
6	22.06.23	27	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	71800
7	27.09.23	30	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	6723
8	27.09.23	30	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	840
9	27.09.23	30	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	32943
10	27.09.23	30	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	93700
			योग	**384916**

15 वां वित आयोग				
1	28.12.22	24	जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला	184392
2	28.12.22	24	जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला	193577
3	19.01.23	25	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	15000
4	19.01.23	25	खण्ड विकास अधिकारी देहरा	15000
5	28.03. 23	26	जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला	129052
6	28.03.23	26	जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला	193577
7	21.05.23	28	जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला	43152
8	23.09.23	29	जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला	14384
9	17.11.23	30	जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला	130228
10	03.01.24	32	जिला पंचायत अधिकारी धर्मशाला	50000
			योग	**968362**

कुल योग = (384916+968362=1353278)

23 भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस संदर्भ में अपेक्षित सुधारात्मक कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया जाए।

24 लघु आपति विवरणिका:- यह अलग से जारी नहीं की गई है।

25. निष्कर्ष:- लेखों के रख-रखाव में सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

11 DEC 2024 का0/प्रति

6004-6008

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)443/2024—खण्ड—1 दिनाँक, शिमला—09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला—171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर सभी सम्बन्धित को एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।
2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला—4 को सूचनार्थ प्रेषित है।
3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।
4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।
पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत सलिहार, विकास खण्ड देहरा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

11 DEC 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला—171009
दूरभाष—0177—2620046

का0/प्रति

परिशिष्ट - "क"   सन्दर्भित पैरा संख्या : 4(क)

विभिन्न निधियों/स्त्रोतों की अवधि 04/2022 से 03/2024 तक की वितीय स्थिति का विवरण:-

i) **स्वयं स्त्रोत्र:-**

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-2023	658360.28	369665	13114	1041139	998469	42670.28
2023-2024	42670.28	329856	1600	374126	351849	22277.28

(ii) अनुदान:- (vkvny)

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-2023	687753	89300	15715	792768	295668	497100
2023-2024	497100	0	14680	511780	75444	436336

iii) आर ए० वाई० :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-2023	9592	0	274	9866	0	9866
2023-2024	9866	0	300	10166	0	10166

iv) मनरेगा :-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-2023	0	3541565 3553000	0	3541565 3553000	3541565 0	~~3553000~~
2023-2024	0	915000 415672.6	0	915000 415672.6	0 415672.5	~~915000~~

v) पन्द्रवा वित्तायोग:-

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-2023	1144813.30	1082578	31933	2259324.30	992347.50	1266976.80
2023-2024	1266976.80	237764	37154	1541894.80	134632	1407262.80

vi) समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम:- (livehood)

वितीय वर्ष	आरम्भिक शेष	आय	ब्याज	कुल योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-2023	169766	0	4872	174638	0	174638
2023-2024		0	5313	179951	0	179951

vii)

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ....
वि.ख. देहरा जिला कांगड़ा हि.प्र.

(2) दिनांक 31.03.2024 को विभिन्न निधियों/अनुदानों की रोकड़ बहियों व बचत खातों के अन्तिम शेषों का विवरण:-

क्रम सं०	निधि का नाम	बैंक का नाम	खाता संख्या	बैंक में जमा शेष राशि	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	अन्तर	अन्तर का विवरण
1	स्वंय स्त्रोत व अनुदान (सभा निधि)	K.C.C.B. DEHRA	20008005365	22277.28	22277.28	0	0
2	आर ए० वाई०	K.C.C.B. KHUNDIAN	50056663676	10166	10166	0	0
3	मनरेगा	-----	----------	------------	------------	---------	------
4	पन्द्रवां वित्तायोग	HDFC DEHRA	50100325710178	1407262.80	1407262.80	0	0
5	समेकित जलागम प्रबन्धन कार्यक्रम	K.C.C.B. KHUNDIAN	50068590883	179951	179951	0	0

(3) दिनांक 31.03.2024 को बैंक समाधान विवरणी।

(4) अवधि 04/2022 से 03/2024 तक गृहकर के रूप में वसूली गई राशि का विवरण व दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष राशि:-

वर्ष	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि

(5) अवधि 04/2022 से 03/2024 तक मोबाइल टावरों से वसूली गई राशि का विवरण व दिनांक 31.03.2024 को वसूली हेतु शेष राशि:-

i) वितीय वर्ष 2022-23

क्रम संख्या	मोबाइल कम्पनी का नाम	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	एयरटेल					
2	भारत संचार निगम लिमिटेड					
3	रिलायंस					
4	अन्य कोई टॉवर					

ii) वितीय वर्ष 2023-24

क्रम संख्या	मोबाइल कम्पनी का नाम	अथ शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
1	एयरटेल					
2	भारत संचार निगम लिमिटेड					

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत ....
वि.ख. देहरा जिला कांगड़ा हि.प्र.

Bank Reconciliation Statement as on 31.03.2024 in respect of Gram Panchayat Salihar, Dev. Block Dehra, Distt Kangra.

Cash book balance as on 31.03.2024	**2055993.08**
Pass book balance as on 31.03.2024	**2055993.08**
Difference	**NIL**

अन्त शेष का विवरण:-

दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

		ग्राम पंचायत सलिहार का दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही व बैंक के अनुसार अन्तिम शेष				
क्र. सं.	निधि का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	बैंक के अनुसार अन्तिम शेष	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	अन्तर
1	स्वयं स्त्रोत व अनुदान	**The Kangra Central Co-op Bank Ltd Dehra**	**20008005365**	**22277.28**	**2055993.08**	शून्य
2	विधायक निधि (VKVNY)	**The Kangra Central Co-op Bank Ltd Khundian**	**50055663916**	**436336.00**		
3	राजीव आवास योजना	**The Kangra Central Co-op Bank Ltd Khundian (Rajiv Aavaas Yojna)**	**50055663676**	**10166.00**		
4	एकीकृत जलागम विकास परियोजना	**The Kangra Central Co-op Bank Ltd Khundian**	**50068590883**	**179951.00**		
5	15 वां वित आयोग	**HDFC Dehra**	**50100325710178**	**1407262.80**		
		Total		**2055993.08**		

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
SDA Complex, Shimla-171009

35

...k Reconciliation Statement as on 31.03.2024 in respect of Gram ...achayat Salihar, Dev. Block Dehra, Distt Kangra.

Cash book balance as on 31.03.2024	**2055993.08**
Pass book balance as on 31.03.2024	**2055993.08**
Difference	**NIL**

अन्त शेष का विवरण:-

दिनांक 31.03.2024 को रोकड़ बहियों व बैंक खाते के अनुसार अन्तिम शेष का विवरण निम्नानुसार है।

		ग्राम पंचायत सलिहार का दिनांक 31-03-2024 को रोकड़ बही व बैंक के अनुसार अन्तिम शेष				
क्र. सं.	निधि का नाम	खाता संख्या	बैंक का नाम	बैंक के अनुसार अन्तिम शेष	रोकड़ बही के अनुसार अन्तिम शेष	अन्तर
1	स्वयं स्त्रोत व अनुदान	**The Kangra Central Co-op Bank Ltd Dehra**	20008005365	22277.28	2055993.08	शून्य
2	विधायक निधि (VKVNY)	**The Kangra Central Co-op Bank Ltd Khundian**	50055663916	436336.00		
3	राजीव आवास योजना	**The Kangra Central Co-op Bank Ltd Khundian (Rajiv Aavaas Yojna)**	50055663676	10166.00		
4	एकीकृत जलागम विकास परियोजना	**The Kangra Central Co-op Bank Ltd Khundian**	50068590883	179951.00		
5	15 वां वित आयोग	**HDFC Dehra**	50100325710178	1407262.80		
		Total		2055993.08		

Assistant Controller (Audit)
H.P. State Audit Department
SDA Complex, Shimla-171009

36